क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्याः–
Ref.No.: G0436/O.A. No. 445/2024

दिनांकः–
Date: 04.05.2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of status report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 445/2024, Sampurna Nand Vs Maa Gayatri.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 25.04.2024 in the matter of O.A. No. 445/2024, Sampurna Nand Vs Maa Gayatri., the status report is being filed herewith.

It is requested that status report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

04/05/2024
(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.
Copy to:-
1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer
Sonbhadra.

Scanned with OKEN Scanner

Status Report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Honble NGT in the matter of OA No. 445/2024 Sampurna Nand vs. M/s Maa Gayatri & Ors.

1. UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said Stone Crushers vide Letter dated-12.01.2024, which was got received to concerned Stone Crusher on dated 19.01.2024 (Annexure-1).
2. The presentation sent by the industry against show-cause notice was received on dated-30.01.2024 in the Regional Office, UPPCB, Sonbhadra (Annexure-2).
3. UPPCB conducted field visit on dated 08.02.2024 to verify complying status and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

S.NO.	Major Air Pollution Control measures	Installation Status	Remark and Action Taken
1.	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points.	Yes	In the light of facts and observations found during site visit, UPPCB revoked the show-cause notice dated 12.01.2024 and allow for operation. UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has deposited by the industry.
2.	Covering of all conveyor belts.	Yes	
3.	Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum	Yes	
4.	Wind breaking wall around the premises.	Yes	
5.	Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall.	Yes	
6.	Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism.	Yes	
7.	Height of exhaust pipe of DG Set.	Yes	

4. Detail Inspection report dated-08.02.2024 is attached herewith (Annexure-3).

The above additional information is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 04.05.2024

04/05/2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
U.P.P.C.B
Sonbhadra

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No F105674-C-2/NGT-67/SCN/24

दिनांक
Date 12-1-24

सेवा में,
पंजीकृत

M/S MAA GAYATRI STONE WORKS,
SONPUR, AHRAURA, CHUNAR
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S MAA GAYATRI STONE WORKS, SONPUR, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नही पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किए जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या मे समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S MAA GAYATRI STONE WORKS, SONPUR, AHRAURA, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओ को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वय आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबध मे उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्राप्त किया
19/1/24
Birendra Nath — Manager
6392750754

Maa Gayatri Stone Work Sonepur Ahiraura Mirzapur

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Telefax : 0542-2210040
Mobile : 8935003900
: 9839603057
: 9451947299

Maa Gayatri Stone Works

Branch Office : Sonepur, Ahirwara, Mirzapur

Head Office : J 13/93 AT Cotton Mill Compound, Opposite Pani Tanki, Chowkaghat, Varanasi - 221001

Ref. No. Dated : ....

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

विषयः मे0 माँ गायत्री स्टोन वर्क्स, ग्राम–सोनपुर, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर को जारी कारण बताओ नोटिस संदर्भ संख्या–एच05674/सी–2/एन0जी0टी0–67/एस.सी.एन./24 दिनांक–12.01.2024 को निक्षेप किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड मुख्यालय के संदर्भ संख्या–एच05674/सी–2/एन0जी0टी0–67/एस.सी.एन./24 दिनांक–12.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त क्रशर प्लांट का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक–28.12.2023 से दिनांक–30.12.2023 के मध्य किया गया तथा पाया गया कि उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत समिति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी गयी। तत्क्रम में उद्योग को वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

महोदय आपको अवगत कराना है कि उद्योग परिसर में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित कर ली गयी हैं। प्रक्रिया उत्सर्जन से होने वाले डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्पिंकलर एवं एंटी स्मोग गन स्थापित किया गया है, जिसका नियमित संचालन किया जाता है। उद्योग परिसर के चारों तरफ विण्ड ब्रेकिंग वॉल, टिन शेड से कवर्ड किया जाना एवं ग्रीन बेल्ट का समुचित विकास किया गया है, जिस संबंध में नोटिरियल शपथ–पत्र संलग्न है। उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश दिनांक–25.07.2022 में अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाता है तथा अनुपालन आख्या कार्यालय में जमा कराया जाता है।

अतः निवेदन है कि उक्त के दृष्टिगत उद्योग को जारी कारण बाताओ नोटिस दिनांक–12.01.2024 को निक्षेप करने की कृपा करें।

भवदीय

(अशोक कुमार सिंह)
पार्ट0 मे0 माँ गायत्री स्टोन वर्क्स, मीरजापुर

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–12.01.2024 निक्षेप करने की कृपा करें।

(अशोक कुमार सिंह)

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

कोषागार कोड सो-69 15 DEC 2023 सोनभद्र

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 525079

Ticket Rs. 10.00
Ranjeet Singh
Notary - Sonebhadra

शपथ–पत्र

समक्ष

क्षेत्रीय अधिकारी

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,

सोनभद्र।

मैं अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री रामाशीष सिंह, उम्र 62 वर्ष, निवासी–जे 13/93, अपोजिट पानी टंकी, काटन मिल कंपाण्ड, चौकाघाट, जनपद–वाराणसी का मूल निवासी हूँ। **मेसर्स माँ गायत्री स्टोन वर्क्स, सोनुपर, अहरौरा,, तहसील–चुनार, जनपद मीरजापुर** का पार्टनर हूँ। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के संदर्भ संख्या–एच05674/सी–2/एन0जी0टी0–67/24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा उद्योग को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। निर्गत कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम मे विन्दुवार प्रति उत्तर निम्नवत है:–

1. Industry has Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e. the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers.
2. Industry has Arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors.
3. Industry has All opening provided for ventilation in the enclosures covered by canvas bag-filter to arrest the escaping dust.
4. Industry has Covering of all belt conveyers.
5. Industry has Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering and truck loading the product, for controlling 'stone dust' and the reject, 'fine dust'.
6. Industry has A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall.
7. Industry has Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipment's and transfer points.
8. Industry has the metal roads inside the stone crusher premises with arrangement for regular cleaning inside the premises to avoid re-entrainment of settled dust.
9. Industry has Regular wetting of the ground through tanker mounted sprinklers/ smog guns within the premises
10. Industry has Dense Green belt along the boundary wall.

NOTARY
Ranjeet Singh
Tahsil Robertsganj
Distt- Sonebhadra
Reg. No-
Validity UP
GOVT. OF U.P. (INDIA)

क्रमश:........2/......पर

अशोक कुमार सिंह

1232

15/12/2023

100/

186

Ashok Kumar Singh

identified ... appeared ... that he ... understands ... mentioned in the affidavit ... which are true. And ...

Notary

330

30.1.24

NOTARY

U.P. (INDIA)

Scanned with OKEN Scanner

(2)

11. Industry has the dust extraction system installed by the stone crushers at dust containment enclosures to extract the accumulated dust fitted with adequate dust control system.
12. Industry has the arrangements to minimize the generation of dust emissions during loading, unloading, handling and storage of raw material / products, waste or byproducts.
13. Industry has Arrangement of Covering while transportation and storage of final product / material.
14. Industry has the stretches of the main highways passing in the vicinity of the stone crushers area are metalled
15. Industry has the approach and link roads in the stone crushers area are metalled.
16. Industry has Quarterly Ambient Air Monitoring through third party.

महोदय आपसे निवेदन है कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–12.01.2024 को निरस्त करने की कृपा करें। मेरे द्वारा उपरोक्त क्र0सं0 01 से 16 तक पर दी गयी सूचनाये पूर होशोंहवाश मे दी गयी है तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

ह0 शपथग्राही

दिनांक–23.01.2024

अशोक कुमार सिंह

(अशोक कुमार सिंह)
मे0 माँ गायत्री स्टोन वर्क्स
मीरजापुर

NOTARY
Ranjeet Singh
Tahsil Robertsganj
Distt- Sonebhadra
Reg. No- 2019/2004
Validity UP to 31.03.2025
GOVT. OF U.P. (INDIA)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक:-G10112/OA No-521/S.C./2024 दिनांक: 08/02/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः– मेसर्स माँ गायत्री स्टोन वर्क्स, ग्राम–सोनपुर, अहरौरा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित करने हेतु उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र संख्या–H05674/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया था। उद्योग द्वारा प्रेषित अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से उक्त कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्राप्त प्रत्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उक्त सन्दर्भित उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक–08.02.2024 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सन्दर्भित उद्योग मेसर्स माँ गायत्री स्टोन वर्क्स, ग्राम–सोनपुर, अहरौरा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर पर 113 दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 7,06,250.00 धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये उद्योग के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–H05674/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो के साथ निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है:–

I. उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि उद्योग द्वारा निर्धारित समयावधि में राज्य बोर्ड के खाते में जमा किया जाय।
II. उद्योग का संचालन प्रारम्भ होने पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण एन0ए0बी0एल0 एक्रिडेटेड प्रयोगशाला अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर एक माह के अन्दर आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
III. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन एवं रख–रखाव इस प्रकार से किया जाये जिससे कि परिवेशीय वायु गुणता सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप रहे तथा आस–पास के वातावरण व जन स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
IV. उद्योग स्थल के एक तिहाई भू–भाग पर ऊँचे, घने एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका 03 माह के अन्दर विकसित की जाये एवं तत्सम्बन्ध में राज्य बोर्ड को सूचित किया जाय।
V. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उक्त प्रकरण में जारी आदेश/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
VI. उद्योग द्वारा वाटर स्प्रिंक्लिंग में विद्युत की खपत हेतु स्थापित पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु स्थापित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) के संचालन सम्बन्धी दैनिक लॉगबुक मेन्टेन की जाय तथा निरीक्षण के समय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाय एवं प्रत्येक त्रैमासिक राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाय।
VII. उपरोक्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कुल रू0 50000.00 (रूपया पचास हजार) मात्र की बैंक गारण्टी राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

भवदीय,

08/02/2024
(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

मेसर्स माँ गायत्री स्टोन वर्क्स, ग्राम—सोनपुर, अहरौरा, तहसील—चुनार, जनपद—मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा—31'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित करने हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुक्रम में निरीक्षण आख्याः—

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु जिलास्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण दिनांक—28.12.2023 से दिनांक—30.12.2023 तक के मध्य की अवधि में किया गया था। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उक्त उद्योग मेसर्स माँ गायत्री स्टोन वर्क्स, ग्राम—सोनपुर, अहरौरा, तहसील—चुनार, जनपद—मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या—H05674/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक—12.01.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31—ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त करायी जा चुकी है। उद्योग द्वारा उक्त कारण बताओं नोटिस को निक्षेपित करने हेतु प्रेषित प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के सन्दर्भ में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक—08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः—

1. उक्त उद्योग ग्राम—सोनपुर, अहरौरा, तहसील—चुनार, जनपद—मीरजापुर पर स्थापित होना सूचित है। निरीक्षण के दौरान उद्योग के डग के समीप का जिओ को—ऑर्डिनेट्स 25.045170—अक्षांश एवं 82.002449—देशान्तर पाया गया।
2. उक्त उद्योग मे कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्डर्स का प्रयोग कर विभिन्न साईज की स्टोन ग्रिट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की स्टोन ग्रिट की उत्पादन क्षमता 250 टन/घण्टा सूचित है।
3. **निरीक्षण के समय पायी गयी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण निम्नवत हैंः—**

i. उद्योग के संयंत्र—

निरीक्षण के समय उद्योग के संयंत्र यथा—प्राइमरी 'जॉ' क्रशर, सेकेण्ड्री 'जॉ' क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर कवर्ड पाये गये। डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा—कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर टेलिस्कोपिक सूट के प्रतिस्थानी के रूप में कैनवास क्लाथ एवं प्लास्टिक ड्रम की स्थापना निरीक्षण के समय पायी गयी।

ii. डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था— निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के फलस्वरूप जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग के संयंत्र यथा प्राइमरी जॉ क्रशर सेकेण्ड्री जॉ क्रशर एवं वाइब्रेटिंग स्क्रीन (झरना) पर वॉटर स्प्रिंक्लिंग की व्यवस्था स्थापित पायी गयी। उद्योग उद्योग में संयंत्रों एवं डस्ट सप्रेशन स्रोतों पर वॉटर स्प्रिंक्लिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित पायी गयी। उद्योग में डस्ट सप्रेशन हेतु 04 स्मॉगगन एवं 02 रेन गन निरीक्षण के समय स्थापित पायी गयी।

क्रमशः 2/पर....

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(2)

iii. जल खपत मापन हेतु फ्लो मीटर की व्यवस्थाः—

उद्योग में वाटर स्प्रिंक्लिंग में विद्युत की खपत हेतु पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) स्थापित पाया गया। वॉटर स्प्रिंक्लिंग में प्रयुक्त जल खपत की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटर निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया, किन्तु वॉटर मीटर का सतत् संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित लॉगबुक का रख—रखाव नहीं पाया गया एवं निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा भौतिक रूप से अवगत कराया गया कि अग्रेतर लॉगबुक की रख—रखाव किया जायेगा।

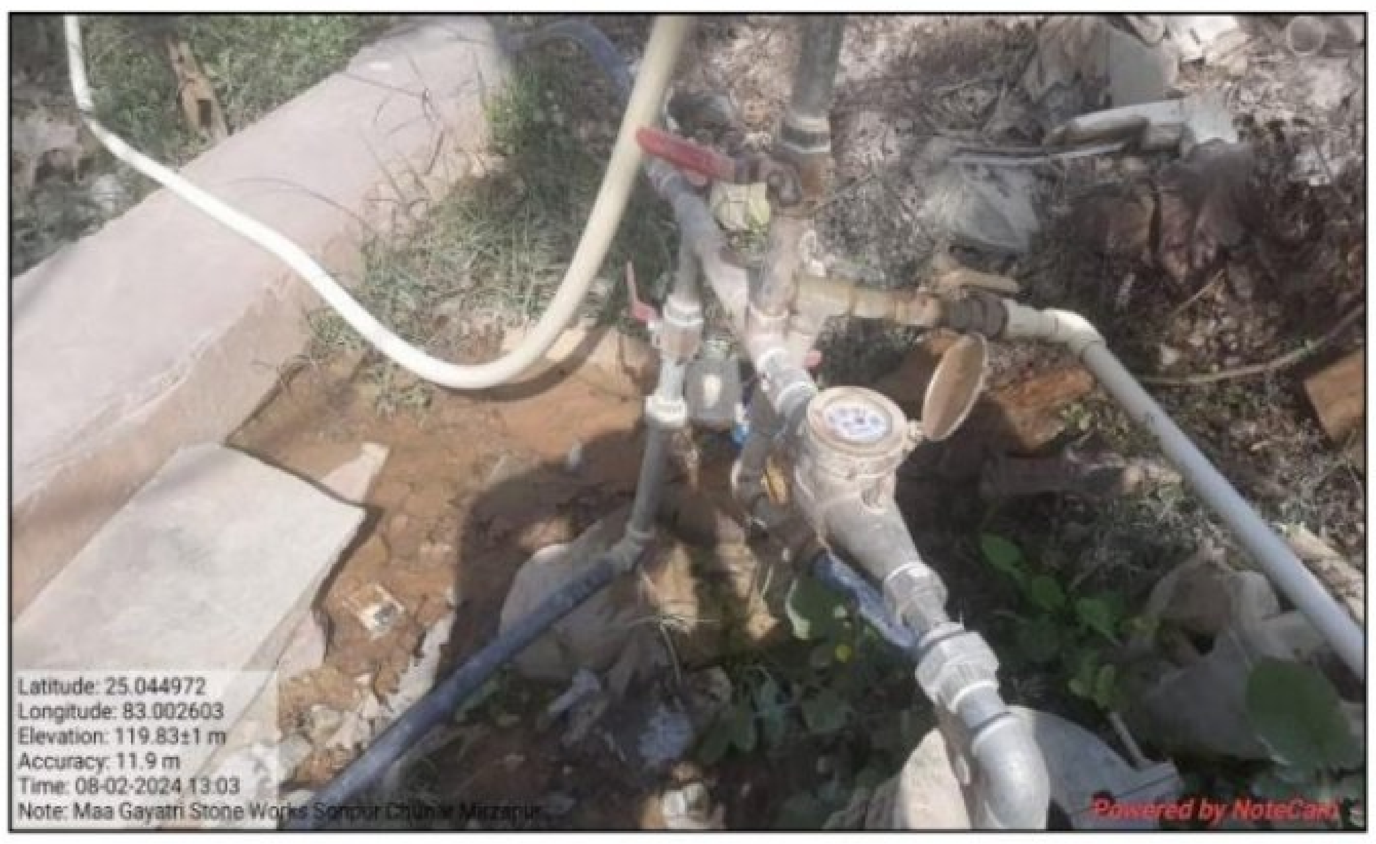

iv. विण्ड ब्रेकिंग वॉल एवं मेटल रोड की व्यवस्था का विवरणः—

निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के कुछ भाग पर स्टोन डस्ट की परत जमी होने के कारण मेटल रोड/कंक्रीट रोड का सत्यापन नहीं किया जा सका एवं अवशेष भाग पर मेटल/कंक्रीट रोड का निर्माण पाया गया। उद्योग परिसर में विण्ड ब्रेकिंगवॉल स्थापित पायी गयी। उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया।

4. उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया। उद्योग में राज्य बोर्ड के आदेश दिनांक—16.02.2018 के अनुपालन में सहमति शर्तो के अनुरूप उद्योग परिसर में हरित पट्टिका विकसित किये जाने हेतु नोटिरियल शपथ—पत्र द्वारा समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में उद्योग को समय प्रदान किया जाना उचित होगा।
5. उद्योग में विद्युत आपूर्ति हेतु 250 के0वी0ए0 क्षमता का एक अदद डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया। डी0जी0 सेट के संचालन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु इक्जॉस्ट पाइप की ऊँचाई राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निरीक्षण के समय स्थापित पायी गयी।

क्रमशः 3/पर....

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(3)

6. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन के अतिरिक्त डस्ट सप्रेशन हेतु वाटर स्प्रिंक्लिंग में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। औद्यौगिक प्रक्रिया से उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।

7. उद्योग का निरीक्षण पूर्व में समिति द्वारा किया गया था। समिति की आख्यानुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्थापित किये बिना उद्योग संचालित किये जाने एवं सहमति शर्तो का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–H05674/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक–12.01.2024 के अनुक्रम में उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ है, जो निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों के आलोक में संतोषजनक प्रतीत होता है।

8. उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ सं0–188563/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2023 दिनांक–26.07.2023 द्वारा दिनांक–31.07.2028 तक की सहमति आदेश (जल एवं वायु) निर्गत है। उद्योग द्वारा सहमति शर्तो को अनुपालन आख्या प्रत्यावेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। निरीक्षण के समय पाए गए तथ्यों से परिलक्षित होता है कि उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से जारी सहमति शर्तो का संतोषजनक अनुपालन किया जा रहा है।

11. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक–19.06.2023, 29.06.2023 एवं 01.07.2023 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। तत्क्रम में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक–06.07.2023 के अनुसार उद्योग पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित किये बिना संचालित पाया गया। तत्पश्चात् जिलास्तरीय समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक–28.12.2023, दिनांक–29.12.2023 एवं दिनांक–30.12.2023 को किया गया। जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक–06.01.2024 के अनुसार उद्योग सहमति शर्तो का उल्लंघन कर संचालित पाया गया। उक्त प्रकरण में उद्योग के उत्पादन कार्य को बन्द कर उद्योग की मशीनरी को दिनांक–23.08.2023 को सील किया गया था। उक्त के पश्चात् उद्योग के उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने हेतु दिनांक–02.11.2023 को राज्य बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके फलस्वरूप 72 दिनों की अवधि में उद्योग का उत्पादन कार्य बन्द होने का तथ्य प्रकाश में आया है। इस प्रकार जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक–06.07.2023 से दिनांक–06.01.2024 तक अर्थात् **185** दिनों तक की अवधि में से 72 दिनों की उत्पादन कार्य बन्द होने की अवधि को छोड़कर अवशेष **113** दिनों की अवधि को डिफाल्टर अवधि में गणना किया जाना उचित है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक–08.02.2019 के अनुसार के अनुसार उद्योग पर डिफाल्टर अवधि अर्थात् 113 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगाः–

Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).

Where,

PI=50 (**Pollution Index**=50 for orange category unit)
N =113 (No. of days from which the non-compliance has been observed)
R = 250 (R factor in Rupees)
S = 0.5 (Factor for scale of operation=**0.5** as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)
LF=1.0(Location Factor=**1.0 as population of Vill. Sonpur, Bhagautidei, Chakjata etc., Chunar, Mirzapur is below 10 lac**.(LF is 1.0 for population less than 10 lac)

क्रमशः 4/पर....

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(4)

Therefore,

Environmental Compensation (EC) = PI x N x R x S x LF
= 50 x 113 x 250 x 0.5 x 1.0
= Rs. 7,06,250/- (Rs. Seven Lacs Six Thousand Two Hundred Fifty) only.

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त उद्योग मेसर्स माँ गायत्री स्टोन वर्क्स, ग्राम–सोनपुर, अहरौरा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर पर 113 दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 7,06,250.00 धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये संदर्भित उद्योग के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–H05674/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस को निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है :–

I. उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि उद्योग द्वारा निर्धारित समयावधि में राज्य बोर्ड के खाते में जमा किया जाय।
II. उद्योग का संचालन प्रारम्भ होने पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण एन0ए0बी0एल0 एक्रिडेटेड प्रयोगशाला अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर एक माह के अन्दर आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
III. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन एवं रख–रखाव इस प्रकार से किया जाये जिससे कि परिवेशीय वायु गुणता सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप रहे तथा आस–पास के वातावरण व जन स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
IV. उद्योग स्थल के एक तिहाई भू–भाग पर ऊँचे, घने एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका 03 माह के अन्दर विकसित की जाये एवं तत्सम्बन्ध में राज्य बोर्ड को सूचित किया जाय।
V. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उक्त प्रकरण में जारी आदेश/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
VI. उद्योग द्वारा वाटर स्प्रिंक्लिंग में विद्युत की खपत हेतु स्थापित पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु स्थापित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) के संचालन सम्बन्धी दैनिक लॉगबुक मेन्टेन की जाय तथा निरीक्षण के समय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाय एवं प्रत्येक त्रैमासिक राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाय।
VII. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कुल रू0 50000.00 (रूपया पचास हजार) मात्र की बैंक गारण्टी राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

08/02/2024
(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner